



प्रेस नोट

दिनांक:—06.02.2021

थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा एक जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही:-—जनपद हापुड पुलिस द्वारा जनपद में जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तरी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहरूख पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड को जिला बदर होने के उपरान्त मा० न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिला बदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:—

शाहरूख पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:—

- 1.मु0अ0स0—44/21 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना सिम्भावली जिला हापुड।
- 2.मु0अ0सं0—279/19 धारा 429 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिं0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:—

- 1-व0उ0नि0 श्री कृतपाल सिंह थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
- 2-उ0नि0 श्री लाखन सिंह थाना सिम्भावली जनपद हापुड।